Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding concellation of Gram Sabha conducted for Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) on 24th February 2019 in Rajasthan.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान के एक लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद । वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा गरीब किसान, मजदूर, जरूरतमंद एवं आम लोगों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हर व्यक्ति को आवास मिले, छत मिले । कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके पास आवास न हो, जिसके पास शौचालय न हो । उसके घर में नल हो तो जल हो, इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है । अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंकों ने, हमारी राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह की एक व्यूह रचना रची गई है, ताकि जो पात्रता रखते हैं, उन पात्र व्यक्तियों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ न मिले । इसके लिए वे इनकम प्रूफ के लिए आईटीआर मांगते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है । उन्होंने दस्तावेजों की इतनी जटिलता खड़ी कर दी है, जिसके लिए वे 12 से 15 प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इश्योरेंस के नाम से तीन से पांच प्रतिशत तक डिमांड मांगी जा रही है । राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा 24 फरवरी, 2019 को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने सारे अधिकारियों/कर्मचारियों पर दबाव डाला है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको ही उस सूची में सम्मिलित किया जाए ।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने 24 फरवरी, 2019 को ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पास किया था, उसको निरस्त किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को आवास दिला कर उनको हक मिल सकें । यही मेरा निवेदन है ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।